एस. के. चौधरी भा.प्र.से.
सरकार के मुख्य सचिव
S. K. Choudhary, I.A.S.
Chief Secretary to Government

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
मंत्रालय, धुर्वा,
राँची – 834004, झारखण्ड
Government of Jharkhand
Mantralaya, Dhurwa
Ranchi - 834 004, Jharkhand
Phone : 91-651-2400240/250 (O)
Fax : 91-651-2400255
E-mail : cs-jharkhand@nic.in

पत्रांक 1281

दिनांक 03/10/12

प्रेषक,

सुशील कुमार चौधरी,
मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त(रॉची जिला छोड.कर),
झारखण्ड।

विषय :–सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र को अनिवार्य रूप से ई–नागरिक सेवा साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

आप अवगत होंगे कि राज्य के अंतर्गत सभी 4562 पंचायतों में प्रज्ञा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इस कम में अनेक प्रज्ञा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं एवं उनपर इन्टरनेट की सेवा उपलब्ध है। जहां यह सेवा नहीं है, वैसे प्रज्ञा केन्द्रों को अविलम्ब इन्टरनेट सेवा प्राप्त करने के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इन्टरनेट सेवा की सहायता से राज्य सरकार नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवा प्रदान करने हेतु इन प्रज्ञा केन्द्रों का उपयोग कर सकती है। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रोनिक सर्विस डिलिवरी अधिनियम 2011, के पश्चात् सभी सरकारी सेवाओं की ऑनलाईन डिलिवरी चरणवद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाना है। राज्य सरकार ने सेवा के प्रदाय गारंटी अधिनियम,2010 को सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है ।

विदित हो कि झारखण्ड राज्य में प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से आम जनता की सुविधा के लिए ई–नागरिक सेवा के तहत योजना एवं विकास विभाग कार्यालय पत्रांक सं0 389 दि0 06.03.2009 के द्वारा सभी प्रमाण पत्र यथा आवासीय, जाति, आय, जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित है, जिसे राज्य की वेबसाईट (http://210.212.20.91/csc/) पर देखा जा सकता है। इसी कम में एन0आई0सी0 द्वारा ई–नागरिक सेवा पोर्टल (http://164.100.150.8/citizen/)को उत्कमित किया गया है, तथा प्रक्रियाओं में आंशिक सुधार कर इसे सुविधाजनक बनाया गया है। नई प्रक्रिया के अन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे। अतः नई प्रक्रियाओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आपके स्तर से सभी संबंधित अधिकारियों को अनुलग्नक के अनुरूप निर्देश दिया जाना अपेक्षित है। किसी भी परिस्थिति में इस कैलेण्डर वर्ष के बाद इस प्रकिया से इतर प्रकिया से वर्णित प्रमाणपत्र निर्गत न हो।

उपर्युक्त स्थिति के समीक्षोपरांत पाया गया है कि सभी जिलों में इन सेवा की शुरूआत अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही जिन जिलों में सेवा की शुरूआत की जा चुकी है, वहाँ इसे और भी लोकप्रिय तथा समयवद्ध किया जाना शेष है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के आवेदन के लिये भी इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है। नियमानुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन भी ई–नागरिक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य मे सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम 2011 के लागू हो जाने के कारण यह आवश्यक है कि जनता को सभी सेवायें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हो। ई–नागरिक के माध्यम से प्रमाण पत्रों के निर्गमन में भी इसका तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । जैप–आई0टी0 को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी लम्बित आवेदनो की प्रखन्ड–वार विवरणी साप्ताहिक स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्त को भेजें । इसकी मासिक रूप से समीक्षा प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी . सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर पर की जाय तथा समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय । सभी उपायुक्तों कि निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित 8 कार्य दिवसों के अन्तर्गत आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पदाधिकारियों के PAR/गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन में इस संबंध में की गयी उपलब्धि का उल्लेख किया जाय।

जैप–आई॰टी॰ को निर्देश दिया जाता है कि अनुपालन हेतु NIC के सहयोग से सुचारू रूप से संचालन, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी (District Informatics Officer) प्रज्ञा केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये नामित नोडल पदाधिकारी हैं।

प्रज्ञा केन्द्र परियोजना की समीक्षा सभी उपायुक्त मासिक समीक्षा बैठक मे अनिवार्य रूप से करें। प्रज्ञा केन्द्र संचालन कर रहीं कंपनियों (एस॰सी॰ए॰) को भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में प्रज्ञा केन्द्रों को सुदृढ़ कर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस सेवा का लाभ सामान्य जनता को पहुँचाए।

आशा है कि इस सुगम प्रकिया से आम नागरिक अधिक लाभान्वित होगे एवं इस सेवा के माध्यम से प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत सेवा हेतु आम जनता को दूरदराज कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सेवा सरलता से संचालित करने हेतू सभी आवश्यक कार्रवाई सूनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

1-10-2012

मुख्य सचिव
झारखण्ड

पत्रांक-1281 दिनांक-03/10/12

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी समीक्षा में ई–नागरिक की डिलिवरी में हुई प्रगति की समीक्षा करें।

1.10.2012
मुख्य सचिव
झारखण्ड

प्रतिलिपि :विकास आयुक्त/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.10.2012
मुख्य सचिव
झारखण्ड

प्रतिलिपि :मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई॰टी॰ को प्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वे कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण एवं समीक्षा की कार्रवाई करें एवं इस निर्देश को राज्य सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशित कराएं।

1.10.2012
मुख्य सचिव
झारखण्ड